न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/94/2025	2025/277	22.05.2025	23.07.2025

1–डॉ. भीमराव अम्बेडकर मेघवाल विकास समिति ग्राम मीरपुर तहसील कोटकासिम जरिये अध्यक्ष धर्मवीर सिह

प्रार्थी

बनाम

1–रवि कुमार पुत्र दाताराम जाति अहीर निवासी ग्राम मीरपुर तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

2–राजस्थान सरकार जरिय भूमिधारी तहसीलदार कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

असल अप्रार्थी

3– सुनील कुमार पुत्र दाताराम जाति अहीर निवासी ग्राम मीरपुर तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

4–सरदार सिंह,

5–शेरसिंह,

6–जसराम पुत्रान केहरसिंह जातियान अहीर निवासी ग्राम मीरपुर तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

तररतीबी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री ललित मेघवाल –वकील प्रार्थी

02. श्री रामफल यादव –वकील अप्रार्थी–1

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में विचाराधीन बअनुवानी पत्रावली संख्या 88/2025 रवि कुमार बनाम राजस्थान सरकार को किसी दीगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मुन्तकिल में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुऐ निवेदन किया गया है, कि तहत अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम बअनुवानी पत्रावली संख्या 88/2025 रवि कुमार बनाम राजस्थान सरकार विचाराधीन है, जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0 दी0 का पेश किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0 दी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को प्रतिवादी संख्या 6 की जद में पक्षकार मुकदमा बनाने के आदेश पारित किये गये है। पत्रावली को वास्ते जवाब दावा आईन्दा दिनाक 05.05.2025 को पेश हो की आर्डरशीट लिखी गयी जिसमें न तो तहत अदालत द्वारा यह लिखा गया की पक्षकार न0 6 को दावा व स्थगन प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति व दावे में पेश दस्तावेजो की फोटो प्रति दिलाई जावे। सीधा यही लिख दिया गया कि पत्रावली वास्ते जवाब में दिनाक 05.05.2025 को पेश हो। नियत तिथी को तहत अदालत द्वारा

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

स्वीकार किये जाने प्रार्थना पत्र प्रार्थी

श्रीमान जी,

अन्तरिम स्थगन प्रार्थना पत्र की बहस सुनने का दबाव दिया गया लेकिन मिन प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह ऐतराज दर्ज कराया की पहले दावा व टी.आई प्रार्थना पत्र की नकल/दस्तावेजों की प्रति दिलवाई जावे। तथा उसके बाद जवाब हेतु समय दिया जावे। इन सब के बावजूद तहत अदालत द्वारा अपने मनमाने तरीके से दबाव दिया गया कि आज ही स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना जावेगा। किन्तु प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा उसी दिन बहस करने में असमर्थता जताई की अभी मेरे पास दावा व टी.आई की नकल नही है, और न ही दस्तावेजो की नकल है इस समय बहस नही कर सकता मिन प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा ऐतराज करने के बाद भी मनमाने तरीके से आर्डरशीट में यह लिख दिया गया की प्रतिवादी संख्या 6 के अधिवक्ता को भी सुना गया। और उभय पक्षकारान को मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द कर दिया गया। जबकि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अन्तरिम प्रार्थना पत्र पर कोई किसी प्रकार की बहस नही की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 राज्य सरकार के खिलाफ स्थगन आदेश जारी नही किया गया। फिर उक्त आदेश में पुनः पुनश्चिय कर लिखा गया कि राज्य पक्ष पाबन्द नही रहेगा। पत्रावली दिनाक 16.05.2025 को पेश हो। जबकि राज्य सरकार की ओर से दिनाक 21.03.2025 को जवाब व संशोधित जवाब पेश किया जा चुका था। जवाब में स्पष्ट कहा गया है, कि भूमि गैरमुमकिन चाह सिवायचक बिला लगानी दर्ज रिकार्ड है। व राजकीय भूमि है, यदि कोई आदेश पारित किया जाता है, तो राज्य सरकार के हित प्रभावित होते है। इसके बावजूद भी मिन प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 6 को सुने बगैर अपने मनमर्जी तरीके से स्थगन आदेश जारी कर दिये गये। जबकि वादी द्वारा जो दावा पेश किया गया है, दुरूस्ती इन्द्राज व इस्तकरर हक मय हुक्म ईम्तनाई दवामी सम्वत 2002 की जमाबन्दी के आधार पर किया गया है। जबकि भूमि काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही राज्य सरकार के खाते में दर्ज चली आ रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे स्पष्ट तौर पर उल्लेखित है, कि सन 1955 से पूर्व की जमाबदीयो व रिकार्ड पर कोई वाद दायर नही किया जा सकता है। लेकिन तहत अदालत ने न तो काश्तकारी अधिनियम का अध्ययन किया न ही सिविल प्रकिया संहिता की पालना की तथा मनमर्जी तरीके से ही वाद को दर्ज कर लिया गया। व कानून से परे जाकर कानून को ताक पर रख कर मनमर्जी तरीके से दावे में स्थगन आदेश जारी किया गया है। मिन प्रार्थी ने कई बार वादी को घन्टो–घन्टो तहत अदालत के कार्यालय में बैठा देखा है, जिससे साफ जाहिर है, कि वादी तहत अदालत से पूर्ण रूप से साज–बाज है, जिस कारण से तहत अदालत से न्याय की कोई उम्मीद नही है। इस प्रकार मिन प्रार्थी को तहत अदालत से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नही है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिल स्वीकार फरमाया जाकर तहत अदालत में विचाराधीन राजस्व वाद को दीगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 3 लगायत 6 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि तहत अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम में विचाराधीन बअनुवानी पत्रावली संख्या 88/2025 रवि कुमार बनाम राजस्थान सरकार विचाराधीन है, तथा प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 6 पर पक्षकार मुकदमा है। प्रतिवादी संख्या 6 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा0 दी0 का पेश किया गया, जिसमें दावे के समस्त तथ्य लिखे हुऐ है, और दावे की प्रतिलिपि भी तहत अदालत द्वारा पूर्व में ही प्राप्त करली गयी है। इस लिऐ जो आदेशिका न्यायालय द्वारा लिखी गयी है, वह सही लिखी गयी है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 6 के पास मूल वाद व प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश की नकले उपलब्ध रही है, ऐसी सूरत में तहत अदालत के समक्ष दावा व प्रार्थना का जवाब पेश करना चाहिए था, जो जानबूझकर पेश नही किया गया है जबकि प्रार्थी/प्रतिवादी को इस हेतु समुचित अवसर दिया गया है। प्रार्थी जानबूझकर बहस नही करना चाहते है। जबकि वादी का वाद में मुताबिक राजस्व रिकार्ड के प्राईमोफेसाई केस आयद वो साबित था यदि स्थगन आदेश तहत अदालत द्वारा जारी नही किया जाता तो प्रतिवादी संख्या 6/प्रार्थी विवादित आराजी की भौतिकता में परिवर्तन कर देता जिससे नापूर्ति वाली क्षति वादी को हो जाती, चूकि राजस्व रिकार्ड के अनुसार कब्जा मौके के अनुसार वादी के पक्ष में नापूर्ति होने वाली क्षति पक्ष में था और तीनो ही श्रेणिया तहत अदालत के समक्ष राजस्व रिकार्ड से एवं अपनी मौखिक कथनो पर बहस की गयी उसे साबित मानते हुऐ आदेश जारी किया गया है। वास्तविकता यह है, कि प्राथी/प्रतिवादी संख्या 6 विवादित आरजी पर जबरन ईट वगै0 डालकर निर्माण कार्य करने की जुस्तजु में था। इस लिए तहत अदालत ने वादी के वाद पत्र में वर्णित तथ्यो व दस्तावेजी साक्ष्यी के अनुसार तथा मौखिक तर्क पर विश्वास करते हुये और प्राईमोफेसाई केस आयद साबित पाये जाने पर ही स्थगन आदेश जारी किया गया, और तो और प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 6 की और से जवाब दावा भी पेश किया गया। जहा तक प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 6 सम्वत 2002 की जमाबंदी के बारे में कथन किया है तो इससे बैखूबी यह साबित है, कि जब पटटी अहीरान व वादी के बुर्जग का नाम स्पष्ट अंकित है, तो वादीगण तो आराजी पर बतौर काबिज खातेदार काश्तकार रहे है, और आज भी है। सम्वत 2012 में जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम लागू हुआ उस समय वादी के बुर्जग काबिज काश्त थे। आई ऑपरेशन ऑफ लॉ स्वतः ही खातेदार दर्ज माने जायेगे। ऐसी कानून की मंशा उस समय थी, और दोनो की अधिनियम में स्पष्ट अंकित है, और राजस्व नियमो में भी अंकित है। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप नितान्त गलत है, ऐसा कोई विधिक साक्ष्य पेश नही किया ऐसा कोई वैधानिक दस्तावेजात/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नही किया गया है। केवल मौखिक कथन किया गया है। पीठासीन अधिकारी पर इस तरह का आरोप लगाना कतई बेमुनियाद है, तथा पीठासीन अधिकारी की

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

कार्यप्रणाली पर आधात होता है, तथा जो भू0 आवंटन का का जिक किया गया है आराजी खसरा न0 637 रकबा 0.0900 है0 में से 0.0200 है0 भूमि दिनाक 24.08.2015 को प्रार्थी/प्रविवादी संख्या 6 को आंवटित की गयी है इस आंवटन की जानकारी अप्रार्थी/वादी/तरतीबी अप्रार्थी को नही रही है। जानकारी होने पर सक्षम न्यायालय में आंवटन को निरस्त कराने की कार्यवाही की हुई है। प्रार्थी/प्रतिवादी के द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर वाद को जानबुझ कर अनावश्यक लम्बित बनाये रखने हेतु पेश किया गया है, प्रार्थी द्वारा जो तथ्य पेश किये गये है, सभी तथ्य गलत/मनघंडत/बेंमुनियाद है, तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानानुसार विधिक प्रकिया के तहत प्रकरण की विधिवत सुनवाई की जा रही है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर तहत अदालत के समक्ष विचाराधीन बअनुवान मुकदमा पत्रावली संख्या 88/2025 रवि कुमार बनाम राजस्थान सरकार को दिगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु पेश किया गया है, साथ ही पीठासीन अधिकारी द्वारा की जा रही विधिवत कार्यवाही पर भी आक्षेप किया गया है। प्रार्थी वकील का मुख्य कथन है, कि तहत अदालत के समक्ष विचाराधीन राजस्व वाद में स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस किये जाने हेतु दबाव दिया गया। प्रार्थी द्वारा तहत अदालत के समक्ष दिनाक 02.03.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश किया गया तथा दिनाक 02.05.2025 प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार कर प्रार्थी को पक्षकार मुकदमा बनाये जाने के आदेश दिये जाकर पत्रावली दिनाक 05.05.2025 को वास्ते बहस हेतु नियत की गयी। प्रार्थी का यह कथन सही प्रतीत नही होता है, कि वाद की नकल प्रार्थी को नही दी गयी हो साथ ही यदि किसी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश/आदेश जारी किया जाता है, तो उसके विरूद्व सक्ष्म न्यायालय में अपील किये जाने का प्रावधान हैं। वकील प्रार्थी द्वारा उक्त क्रम में विधिक प्रावधानानुसार सक्ष्म न्यायालय में अपील पेश न कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। प्रकरण में स्पष्ट है, कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा वाद का शिध्र निस्तारण किये जाने हेतु ही छोटी–तारीख पेशीयॉ नियत की जा रही है। इसमें पीठासीन की कोई दुरभावना नही है। विचाराधीन प्रकरण में तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा कोर्ट मैनवल के विधिक प्रावधानुसार ही विधिवत कार्यवाही की जा रही उसके बावजूद भी प्रार्थी के द्वारा गलत तथ्य दर्ज करते हुऐ मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश कर प्रकरण को अनावश्यक विलम्बित बनाये रखने हेतु पेश किया गया है, प्रार्थी द्वारा अपने कथन की पुष्टि में कोई विधिक दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गये हैं, जिनके अभाव में प्रार्थना पत्र के संलग्न शपथ–पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वास किये जाने योग्य नही है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है, निर्णय की प्रति तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलेक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

स्वीकार किये जाने प्रार्थना पत्र प्रार्थी

श्रीमान जी,